संख्या-21/2017/1204 ई-2/तेरह-2017-93/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 22 मई, 2017

विषय:-जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-450/1/आबकारी/बार अनुज्ञापन/ गौतमबुद्धनगर, दिनांक 01 नवम्बर,2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके पत्र दिनांक 01 नवम्बर,2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-178/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6,7/(खण्ड-18) बार अनु0/नोयडा, दिनांक 13 दिसम्बर,2016 तथा पत्र संख्या-जी-189/दस-लाइसेंस-64/(खण्ड-18)/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/नोयडा, दिनांक 22 दिसम्बर,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स स्मैश इन्टरटेनमेन्ट प्रा0लि0, द्वितीय तल, ट्रेड व्यू बिल्डिंग ओएसिस काम्पलेक्स, पी0बी0 मार्ग लोअर पारेल, मुम्बई के नाम उनके द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट स्मैश ए-501, बी0-504, चतुर्थ तल, डी0एल0एफ0 मॉल आफ इण्डिया, सेक्टर-18, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-21/2017-1204(1) ई-2/तेरह-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-जी-178/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6,7/(खण्ड-18) बार अनु0/नोयडा, दिनांक 13 दिसम्बर,2016 तथा पत्र संख्या-जी-189/दस-लाइसेंस-64/(खण्ड-18)/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/नोयडा, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।